UPAU010043022026

न्यायालय विशेष न्यायाधीश, पॉक्सो अधिनियम, औरैया।

पीठासीन अधिकारी– श्री अखिलेश्वर प्रसाद मिश्र (उच्चतर न्यायिक सेवा)

जमानत प्रार्थना पत्र सं0–1123/2026

कन्हैया यादव पुत्र छुटकन यादव निवासी ग्राम नगला गुणवान, थाना कुदरकोट, जिला औरैया।

प्रति

राज्य आदि।

मुकदमा अपराध संख्या 22/2026
धारा–137(2) भारतीय न्याय संहिता
व धारा 3(2)(v)क एससी/एसटी एक्ट
थाना कुदरकोट जिला–औरैया।

दिनांक–14.08.2026

अभियुक्त कन्हैया यादव की ओर से जमानत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया है। अभियुक्त मुकदमा अपराध संख्या–22/2026 धारा 137(2) बीएनएस व धारा 3(2)(v) एससी/एसटी एक्ट थाना कुदरकोट, जिला औरैया से सम्बन्धित है तथा अभियुक्त आज दिनांक तक अन्तरिम जमानत पर है।

जमानत प्रार्थना पत्र पर उभयपक्ष के विद्वान अधिवक्तागण के तर्क सुने तथा पत्रावली का अवलोकन किया।

संक्षेप में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार है कि वादिनी मुकदमा ममता जाटव द्वारा थाना प्रभारी निरीक्षक कुदरकोट, जिला औरैया को इस आशय की तहरीर दी गयी है कि प्रार्थिनी ममता जाटव पत्नी स्व0 कमलेश कुमार निवासी वीवीपुर थाना कुदरकोट जनपद औरैया की मूल निवासी है। वह दिल्ली में मजदूरी करती है। उसकी पीड़िता पुत्री उम्र करीव 15 वर्ष जो कक्षा 8 में श्री राम विद्यालय निकेतन स्कूल कुदकोट में पढती है। उसकी पुत्री दिनक 25.02.2026 को समय करीब 1.30 बजे दोपहर अपने घर से साइकिल से स्कूल शंकरपुर होते हुए जा रही थी, तो हिंगा की बगिया के पास उसके गांव का अजय शर्मा पुत्र ब्रह्मानन्द शर्मा व कन्हैया यादव पुत्र छुटकन यादव अपनी सफेद डिजायर कार से आये और उसकी पुत्री की साइकिल के सामने गाड़ी लगाकर उसकी पुत्री को बहला फुसलाकर गाडी में बैठाकर ऐरवाकटरा क्षेत्र की ओर बम्बा के पास ले गये और अजय शर्मा ने उसकी पुत्री के साथ गलत काम किया, कन्हैया गाडी चला रहा था, वह गाडी से उतरकर थोडी दूर खडा हो गया था। वह दिल्ली से दिनांक 07.03.2026 को अपने गांव आयी तो उसकी पुत्री ने उसे पूरी बात बतायी थी। रिपोर्ट लिखकर कानूनी कार्यवाही करने की कृपा करें।

अभियुक्त की ओर से उपस्थित उसके विद्वान अधिवक्ता ने जमानत प्रार्थना पत्र में इन तथ्यों का उल्लेख किया है तथा तर्क प्रस्तुत किया है कि अभियोजन कहानी कतई असत्य बनावटी एवं मनगढत है। प्रथम सूचना रिपोर्ट घटना से काफी विलम्ब 13 दिन से अधिक विलम्ब से लिखायी गयी है और विलम्ब से प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज करवाए जाने का कोई कारण स्पष्ट

Digitally signed by AKHILESWAR PRASAD MISHRA
Date: 2026.08.14 16:45:34 IST
Reason: Document Owner
Location: District and Sessions Court

नहीं किया गया है। इससे यह स्पष्ट होता है कि घटना में प्रार्थी को गलत तरीके से झूठा फंसया गया है। प्रार्थी द्वारा किसी भी प्रकार की कोई भी घटना कारित नहीं की गयी है और न ही पीड़िता अथवा वादिनी मुकदमा को जातिसूचक शब्दों से अपमानित किया गया है। प्रथम सूचना रिपोर्ट की तहरीर में करीब 01.30 बजे दोपहर घर से स्कूल जाते समय पीड़िता की साइकिल के सामने सफेद डिजायर कार लगाकर बहला–फुसला कर ले जाना बताया गया है, जबकि पीड़िता ने अपने बयान अन्तर्गत धारा 180 व 183 बी०एन०एस०एस० में, केवल अभियुक्त अजय द्वारा पीड़िता को जबरदस्ती कार में बैठाया जाना बताया गया है एवं पीड़िता को जिस स्थान से उठाया गया, उसी स्थान पर छोड़े जाने के कथन तथा उक्त डिजायर कार से प्रार्थी का कोई भी वास्ता व सरोकार न होने से भी घटना में प्रार्थी को झूठा फंसाया जाना दृष्टिगोचर होता है। पीड़िता के बयान अन्तर्गत धारा 180 व 183 बी०एन०एस०एस० से स्पष्ट है कि पीड़िता प्रार्थी को न तो जानती थी और न ही पहिचानती थी तथा तहरीर के अनुसार वादिनी मुकदमा मौके पर मौजूद नहीं थी और न ही किसी चक्षुदर्शी साक्षी ने प्रार्थी को घटना कारित करते देखा और न ही प्रार्थी के बावत् किसी चक्षुदर्शी साक्षी द्वारा वादिनी अथवा पीड़िता को अवगत कराया गया है। कथित मुख्य अभियुक्त अजय शर्मा ने भी प्रार्थी की संलिप्तता के बावत् कोई बयान नहीं दिया है। घटना में प्रार्थी को झूठा नामित किया गया है। इसी कारण से पुलिस ने वादिनी मुकदमा के प्रभाव में पीड़िता से प्रार्थी की शिनाख्त नहीं करवायी है। उपरोक्त मुकदमा में विवेचनाधिकारी द्वारा प्रार्थी के विरुद्ध मात्र धारा 137(2) बी०एन०एस० व 3(2)(5)क एससी०/एसटी० एक्ट में आरोप पत्र प्रस्तुत किया गया है। प्रार्थी एक कानून में आस्था रखने वाला व्यक्ति है और प्रार्थी द्वारा स्वयं माननीय न्यायालय के समक्ष उपस्थित होकर आत्म समर्पण किया गया है। प्रार्थी का कोई आपराधिक इतिहास नहीं है और प्रार्थी किसी भी आपराधिक मामले में पूर्व सजायाफ्ता नहीं है। प्रार्थी जमानत पर रिहा होने के उपरान्त जमानत की समस्त शर्तों का पालन करेगा। अतः अभियुक्त का जमानत प्रार्थना पत्र स्वीकार किए जाने की प्रार्थना की गयी है।

वादिनी मुकदमा पर नोटिस तामील है तथा वह उपस्थित है, उसके द्वारा अभियुक्त का जमानत प्रार्थना पत्र निरस्त किए जाने की प्रार्थना की गयी है। पत्रावली पर बाल कल्याण समिति की आख्या संलग्न है।

राज्य की ओर से उपस्थित विद्वान विशेष लोक अभियोजक (लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम) द्वारा जमानत प्रार्थना पत्र का प्रबल विरोध किया गया है तथा तर्क दिया गया है कि अभियुक्त द्वारा वादिनी मुकदमा की अनुसूचित जाति की नाबालिग पुत्री/पीड़िता को सहअभियुक्त के साथ मिलकर उसके विधिक संरक्षण से बहला फुसलाकर व्यपहरित किया गया है। इसके अतिरिक्त अभियोजन की ओर से तर्क दिया गया है कि पीड़िता ने अपने बयान अन्तर्गत धारा 180 व 183 बीएनएसएस में भी घटना का समर्थन किया है तथा अभियुक्त की संलिप्तता बतायी है।

पत्रावली पर उपलब्ध प्रपत्रों, केस डायरी तथा उक्त जमानत प्रार्थना पत्र का अवलोकन किया गया। बचाव पक्ष के विद्वान अधिवक्ता ने अभियुक्त द्वारा पीड़िता को व्यपहरित करने के कथन से इंकार किया है। पीड़िता ने अपने बयान धारा 180 बीएनएसएस में अभियुक्त कन्हैया को जानने से इंकार किया है तथा सहअभियुक्त अजय द्वारा गाड़ी में बैठाना कहा है। इसी

प्रकार बयान धारा 183 बीएनएसएस में सहअभियुक्त अजय द्वारा जबरदस्ती गाड़ी में बैठाना कहा है और अभियुक्त कन्हैया का गाड़ी से उतर कर चले जाना कहा है। इस प्रकार पीड़िता ने अपने उपरोक्त बयानों में अभियुक्त द्वारा उसका व्यपहरण करना नहीं कहा है। अभियुक्त आज दिनांक तक अन्तरिम जमानत पर है, उसके द्वारा अन्तरिम जमानत का दुरूपयोग नहीं किया गया है। अभियुक्त पर पॉक्सो अधिनियम का अपराध आरोपित नहीं है। प्रस्तुत प्रकरण में अभियुक्त के विरूद्ध आरोपित अपराध अधिकतम सात वर्ष तक के कारावास से दण्डनीय है। इस मामले में माननीय उच्चतम न्यायालय की विधि व्यवस्था Satendra kumar Antil Vs. Central Bureau of Investigation Special Leave petition (CRL) No 5191/2021 के प्रावधान लागू होते हैं। प्रस्तुत प्रकरण में अभियुक्त का कोई आपराधिक इतिहास प्रस्तुत नहीं है। अतः पत्रावली पर उपलब्ध समस्त प्रपत्रों एवं उभयपक्ष के तर्कों के आधार पर एवं इस प्रकरण के तथ्यों एवं परिस्थितियों पर सम्यक विचार करने के उपरान्त अभियुक्त का जमानत प्रार्थना पत्र स्वीकार किए जाने योग्य है।

<u>आदेश</u>

जमानत प्रार्थना पत्र अभियुक्त कन्हैया यादव पुत्र छुटकन यादव, सम्बन्धित मुकदमा अपराध संख्या–22/2026, अपराध अन्तर्गत धारा–137(2) बीएनएस व धारा 3(2)(v)क एससी/एसटी एक्ट, थाना कुदरकोट, जिला औरैया स्वीकार किया जाता है। अभियुक्त द्वारा मु0 20,000/–रूपये का व्यक्तिगत बन्धपत्र तथा इसी धनराशि की दो प्रतिभू दाखिल करने पर निम्नलिखित शर्तों के साथ जमानत पर निर्मुक्त किया जाये–

01. अभियुक्त अभियोजन साक्षियों को डरायेगा–धमकायेगा नहीं।
02. अभियुक्त साक्ष्य से छेड़छाड़ नहीं करेगा।
03. अभियुक्त न्यायालय की बिना अनुमति के देश नहीं छोड़ेगा।
04. अभियुक्त न्यायालय में प्रत्येक तिथि को उपस्थित रहेगा, कार्यवाही में सहयोग करेगा।
05. अभियुक्त पीड़िता के घर के आस पास नहीं जायेगा और न ही पीड़िता या उसके परिवारीजन को किसी प्रकार से सम्पर्क करेगा, न ही प्रभावित करेगा।
06. न्यायालय द्वारा लगायी गयी उपरोक्त शर्तों का उल्लंघन करने पर अभियुक्त की जमानत निरस्त कर दी जायेगी।

(अखिलेश्वर प्रसाद मिश्र)
विशेष न्यायाधीश (पाक्सो एक्ट),
औरैया।

<u>दिनांकः–14.08.2026</u>

JO Code No:UP 6287